उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड, लखनऊ
के कार्यकारी समिति की तृतीय बैठक
दिनांक–21.12.2017 का कार्यवृत्त

बैठक का स्थान :मुख्य सचिव सभागार, श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन(सचिवालय एनेक्सी), लखनऊ।

समय : पूर्वान्ह 11:30 बजे

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बोर्ड की बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों, सदस्यों एवं विशेष आमंत्री अधिकारियों की सूची संलग्न है।

2.0 अध्यक्ष की अनुमति से सदस्य संयोजक द्वारा बोर्ड की अब तक की कार्यवाही/प्रगति से अवगत कराते हुए एजेण्डावार निम्नवत् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी :–

2.1 मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मोग सम्बन्धित समस्या के स्थायी एवं पर्यावरण प्रिय समयबद्ध निवारण हेतु प्रदेश सरकार को प्रदत्त निर्देशों तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति के "वैल्यू चेन मैकेनिज्म" के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित **"जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम"** के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनार्थ तैयार की गयी टिप्पणी के क्रम में मुख्य सचिव महोदय की अपेक्षानुसार एक संक्षिप्त पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के अन्त में उपस्थित सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से आवश्यक तकनीकी इनपुट्स प्राप्त कर मुख्य सचिव महोदय द्वारा टिप्पणी के बिन्दु सं0–2.2 तथा 2.3 में राज्य सरकार द्वारा जैव ऊर्जा उद्यमों को शासन द्वारा दी जाने वाली रियायतों/छूटों को पुनरीक्षित कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को प्रदान किये गये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

2.2

एजेण्डा सं0–1 : कार्यकारी समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 21.09.2016 की अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना।

बोर्ड के कार्यकारी समिति की पूर्व बैठक दिनांक : 21.09.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या सदस्य संयोजक द्वारा पढ़कर सुनाई गयी। सभी उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की।

एजेण्डा सं0–2 :

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित एस0एल0एस0सी0 की बैठक में विशेष आमंत्री के रूप में सदस्य संयोजक, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकार के जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा उत्पादन विषयक प्रस्तुतीकरण के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन हेतु तैयार की गयी परियोजनाओं के **"वैल्यू चेन मैकेनिज्म"** के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे कार्यों से माननीय कार्यकारी समिति को अवगत कराना।

कार्यवाही :

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा प्रदेश के जैव ऊर्जा आधारित पर्यावरण प्रिय स्थायी आर्थिक विकास एवं स्वरोजगार अवसरों के सृजन हेतु **"वैल्यू चेन मैकेनिज्म"** के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में कराये जा कार्यों के संदर्भ में समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा प्रस्तुत की गयी। इसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के जैव अपशिष्टों जैसे–धान का पुवाल, गन्ने की पत्ती, गोबर, जानवरों का बचा चारा इत्यादि का उपयोग कर बायो सी0एन0जी0 तथा बायोकोल (पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स) उत्पादन की व्यावसायिक कार्य योजना पर प्रकाश डाला गया। सदस्य संयोजक ने युवा उद्यमियों द्वारा स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्तर की नवाचारी औद्योगिक इकाईयों, जिसमें सरसौल, कानपुर नगर स्थित ठोस नगरीय कचरे से बायो सी0एन0जी0 एवं बायो मैन्योर उत्पादन तथा मैनपुरी में कृषि अपशिष्टों का उपयोग कर बायोकोल (पेलेट्स तथा ब्रिकेट्स) उत्पादन की व्यावसायिक कार्य योजना के बारे में समिति को अवगत कराते हुए कहा कि इस प्रकार की इकाईयॉ स्थापित कर जहॉ पर्यावरण संरक्षण हेतु एन0जी0टी0 के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित हो सकेगा वहीं जैव ऊर्जा उत्पादन की सहायता से पेट्रोलियम आधारित ईंधन की उत्तरोत्तर खपत को कम कर सकेंगे। साथ ही कचरे से धनोपार्जन तथा स्थायी असंख्य स्वरोजगार/रोजगार अवसर भी सृजित कर सकेंगे। एम0एस0एम0ई0 सेक्टर से समयबद्ध क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड सब्सिडी की सुविधा न मिल पाने के कारण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को वॉछित स्तरीय गति नहीं मिल पा रही है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन हेतु एस0एल0एस0सी0 की उक्त बैठक में बायोमॉस से बायोकोल तथा बायो सी0एन0जी0 उत्पादन की कार्ययोजना को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करते हुए बुलन्दशहर जनपद को एक मॉडल जनपद के रूप में विकसित करने के निर्देश भी प्रदान किये गये। तत्क्रम में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड तथा कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन बुलन्दशहर संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। बैठक में उपस्थित संयुक्त निदेशक, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि बुलन्दशहर में प्रस्तावित बायो सी0एन0जी0 सयंत्र की स्थापना हेतु जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित भूमि पर कतिपय विरोध हो गया है अतः शिकारपुर कृषि प्रक्षेत्र में परियोजना हेतु आवश्यक भूमि ऑवण्टित करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। जैसे ही उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति शासन से प्राप्त होगी, कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

उक्त के आलोक में पर्यावरण संरक्षण एवं ऊर्जा क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने तथा असंख्य स्वरोजागार अवसरों के सृजन हेतु सक्षम जैव ऊर्जा सेक्टर से जुड़े उक्त महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रोजेक्ट मोड में क्रियान्वित करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति (पर्यावरण विभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर बोर्ड द्वारा नेशनल एडापटेशन ऑन क्लाईमेट चेन्ज के अन्तर्गत रू0 24.478 करोड़ लागत का शत–प्रतिशत अनुदान का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृति हेतु नाबार्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित जनपदों क्रमशः बागपत, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मुज्फ्फरनगर, मेरठ तथा हापुड़ में बायो सी0एन0जी0, बायोकोल तथा बायो मैन्योर उत्पादन की कार्ययोजना उद्यमिता मोड में "वैल्यू चेन मैकेनिज्म" के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी में मुख्य सचिव महोदय द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों तथा मिर्जापुर मण्डल के दो जनपदों क्रमशः मिर्जापुर तथा सोनभद्र में वहॉ के पर्यावरण के अनुसार कम सिंचाई तथा कम देख–रेख वाली फसलों जैसे–औषधीय एवं सगंध पौध तथा सुपर फूड उत्पादन कार्यक्रम को प्रोजेक्ट मोड में संचालित करने के उद्देश्य से परियोजना प्रस्ताव रू0 24.8985 करोड़ लागत का वित्तीय प्रस्ताव तैयार कर बोर्ड द्वारा नेशनल एडापटेशन ऑन क्लाईमेट चेन्ज के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु नाबार्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त लागत भी भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को शत–प्रतिशत अनुदान के रूप में प्राप्त होती है।

सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्तुत किये गये उक्त विवरण के आलोक में कार्यकारी समिति ने बोर्ड के जैव ऊर्जा आधारित पर्यावरण प्रिय स्थायी आर्थिक विकास तथा स्वरोजगार अवसरों के सृजन हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा नेशनल एडाप्टेशन ऑन क्लाइमेट चेन्ज के अन्तर्गत नाबार्ड को प्रेषित प्रस्ताव की कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये कि उक्त दोनों ही प्रस्तावों की भारत सरकार से समयबद्ध स्वीकृति को फालो कर लिया जाय।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–3 :

चीनी मिलों में सह–उत्पादित प्रेस मड तथा किसानों के खेत पर शुगर केन ट्रेसेस के साथ–साथ पराली तथा अन्य कृषि/जैव अपशिष्टों से बायोगैस/सी0एन0जी0 उत्पादन तथा ''मिशन बायो–सी0एन0जी0 ग्रिड'' एवं प्रोड्यूसर गैस उत्पादन के माध्यम से ''मिशन विधुत ऑफग्रिड'' की व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन उद्यमिता मोड में संचालित करने हेतु उद्यमियों को किये जा रहे सहयोग से अवगत कराना।

कार्यवाही :

प्रदेश में संचालित 119 चीनी मिलों द्वारा वित्तीय सत्र 2016–17 में लगभग 827 लाख टन गन्ने की पेराई हुई। इससे लगभग 24.81 लाख टन उत्पादित प्रेस मड वर्तमान में चीनी मिलों के समक्ष एक पर्यावरण समस्या के रूप में उपस्थित है। इसमें मृदा हेतु विभिन्न हानिकारक तत्वों के साथ–साथ लगभग 07 प्रतिशत मोम भी होता है। वर्तमान में इसका उपयोग ईंट भट्ठों, ब्वायलर्स इत्यादि में सह ईंधन के रूप में किया जा रहा है। प्रेस मड का उक्त प्रकार से निस्तारण पर्यावरण संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों के बीच बाधा के रूप में है। इसके अतिरिक्त चीनी मिलों में बची हुई खोई तथा किसानों द्वारा गन्ने की पत्तियॉ के डिस्पोजल का वर्तमान तरीका भी पर्यावरण अनुकूल नहीं है।

उक्त के आलोक में बोर्ड द्वारा प्रदेश की चीनी मिलों के साथ–साथ गन्ना किसानों द्वारा जाने–अनजाने किये जा रहे उक्त निस्तारण के तरीके के स्थान पर पर्यावरण प्रिय तथा उत्पादक क्रिया–कलापों से किसान चौपालों के माध्यम जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस प्रयास से गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 को अवगत कराते हुए इस विषय पर सम्बन्धित सभी पक्षों, जिसमें उ0प्र0 चीनी मिल एसोसिशन, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0 के साथ उनकी अध्यक्षता में एक बैठक कराकर उक्त बायोमास अपशिष्टों के पर्यावरण प्रिय एवं उत्पादक तथा समयबद्ध निस्तारण हेतु बोर्ड द्वारा अनुरोध किया जा चुका है। वर्तमान में गन्ना किसानों तथा चीनी मिलों द्वारा उत्पादित क्रमशः गन्ने की पत्तियॉ तथा अन्य फसल अपशिष्ट एवं प्रेस मड इत्यादि का उपयोग

कर बायोकोल तथा बायो सी0एन0जी0 उत्पादन की कार्ययोजना "वैल्यू चेन मेकेनिज्म" के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में क्रियान्वित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त कार्यक्रमों हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा पूँजीगत/ब्याज उपादान की सुविधा सम्बन्धित उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाती है। इसके अतिरिक्त प्रोड्यूसर गैस उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर की इकाईयों को ऑफग्रिड मोड में विद्युत सुविधा भी उपलब्ध कराये जाने का कार्य बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। सदस्य संयोजक द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समिति से अनुरोध किया गया कि प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलें राष्ट्रीय राजमार्ग–24 तथा उसके आस–पास 100 कि.मी. के दायरे में है। अतः बायो सी0एन0जी0 ग्रिड नाम से एक महत्वाकॉक्षी परियोजना की शुरूआत उद्यमिता मोड में तत्काल की जा सकती है। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग द्वारा बोर्ड को उद्यमिता मोड में प्राप्त परियोजनाओं के आलोक में उक्त प्रस्ताव को **देश के प्रथम ग्रीन हाइवे के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया गया। साथ ही इस प्रयास से गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लि0 को भी अवगत करा दिया जाये ताकि भविष्य में उत्पादित सरपल्स बायो सी0एन0जी0 को गेल के नेशनल ग्रिड में बरेली के आस–पास इसे जोड़ दिया जाये।** इस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य जैव ऊर्जा नीति तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये।

(कार्यवाही :उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, उ0प्र0शासन/गन्ना आयुक्त, उ0प्र0/उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ लि0/उ0प्र0 चीनी मिल एसोसिएशन)

एजेण्डा सं0–4 :

लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017 में वर्णित किसानों की आय दोगुना किये जाने के लक्ष्य तथा किसानों से सम्बन्धित अन्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जैव ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि कार्य को समूह के माध्यम से संचालित करने हेतु युवाओं/किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, उनके एफ0पी0ओ0 गठित करने, उनके जैव ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि आधारित व्यवसाय स्थापित करने तथा उसे "वैल्यू चेन मेकेनिज्म" के अन्तर्गत संचालित करने में किये जा रहे सहयोग के तथ्य से अवगत कराना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि **लोक कल्याण संकल्प पत्र–2017** में वर्णित किसानों की आय दोगुना किये जाने के लक्ष्य तथा किसानों के पर्यावरण प्रिय स्थायी उन्नयन से सम्बन्धित अन्य लक्ष्यों की पूर्ति हेतु जैव ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि कार्य को समूह आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्य को क्षेत्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों क्रमशः ललितपुर, बॉदा, हमीरपुर, बलिया, सहारनपुर, सुल्तानपुर, गोण्डा, एटा, कन्नौज, मिर्जापुर इत्यादि में **"चौपाल पर चर्चा"** कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों के समूहों को बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में अवगत कराते हुए किसानों की प्रत्यक्ष सहभागिता के तौर तरीकों के बारे में अवगत कराया गया।

इस कार्य में बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित "जैव ऊर्जा वॉलिण्टियर्स" द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गयी। वर्तमान में इस प्रयास से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग 850 एकड़ रकबे पर लेमनग्रास की कृषि का कार्य किया जा रहा है। लेमनग्रास की कृषि करने वाले किसानों को आवश्यक प्राथमिक इनपुट तथा तकनीकी बोर्ड द्वारा उपलब्ध करायी जाती है जबकि श्रमांश सम्बन्धित किसान द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। लेमनग्रास की कृषि से सम्बन्धित किसान को एक बार सकल निवेश लगभग रू0 32000.00 प्रति एकड़ के पश्चात आगामी पॉच वर्षों तक प्रत्येक तिमाही अन्तराल पर लगभग रू0 25000.00 प्रति एकड़ शुद्ध आय होती है, जो आगामी पॉच वर्षों तक पर्यावरण प्रिय परिस्थितियों में नियमित रूप से होती रहती है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड के दो जनपदों क्रमशः चित्रकूट तथा बॉदा में किनवा तथा चिया की प्रायोगिक कृषि कार्य भी पिछले वर्ष कराया गया था जिसके काफी सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। उक्त दोनों फसलों की कृषि पर औसतन रू0 4000.00 से रू0 5000.00 के सकल निवेश पर बुन्देलखण्ड जैसी ही पर्यावरणीय परिस्थितियों में 100–110 दिन अन्तराल पर सम्बन्धित किसान को लगभग रू0 22000.00 से रू0 24000.00 की कुल आय हो जाती है। बोर्ड के उक्त सफल प्रयोग को नाबार्ड के सहयोग से कृषक उत्पादक संगठन के रूप में तेजी से आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

इस कार्य योजना में प्रदेश के 25 जनपदों क्रमशः जालौन, झॉसी, ललितपुर, हमीरपुर, बॉदा, चित्रकूट, कानपुरनगर, रायबरेली, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, गोरखपुर, कुशीनगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, सहारनपुर, बलिया तथा मथुरा में से प्रत्येक जनपद में 05 कृषक उत्पादक संगठन स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रत्येक कृषक उत्पादक संगठन में 500 किसान सम्मिलित किये जायेंगे। इस कार्य के क्रियान्वयन के उपरान्त बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं से आगामी दो वर्षो में प्रदेश के 62500 किसान प्रत्यक्ष रूप से बोर्ड से जुड़कर लाभान्वित होंगे तथा अपने जैसे प्रयास हेतु अन्य किसानों हेतु मार्गदर्शक भी बनेगें। इस कार्य हेतु नाबार्ड आवश्यक संसाधन बोर्ड के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित कृषक उत्पादक संगठन को उपलब्ध कराएगा। इस प्रयास से लेमनग्रास उत्पाद को मल्टी कामोडिटी इक्सचेन्ज में पंजीयन कराना आसान हो जायेगा तथा सम्बन्धित लाभार्थी किसानों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की दरों पर अपने उत्पाद को बेचने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। किसानों के उत्पादों की विपणन प्रकिया को सरल बनाने हेतु "जैव ऊर्जा" नाम से ब्रॉड का पंजीयन भी कराये जाने तथा अधिक से अधिक किसानों, उद्यमियों तथा उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष संवाद हेतु सोशल मीडिया टूल्स का प्रभावी प्रयोग किये जाने का प्रस्ताव है। सदस्य संयोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त विवरण की सराहना करते हुए कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि विभाग/नाबार्ड)

एजेण्डा सं0–5 :

राज्य जैव ऊर्जा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु "जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम" का प्रस्ताव मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदनार्थ तैयार कर के सम्बन्धित विभागों से मत प्राप्त करने हेतु प्रयास से माननीय कार्यकारी समिति को अवगत कराना।

कार्यवाही :

बिन्दु सं0 2.1 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रदान किये गये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–6 :

जैव ऊर्जा उद्यम संचालन हेतु आवश्यक कच्चे माल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु नदी के कटान वाले क्षेत्रों, जल प्लावित क्षेत्रों, बाढ़ तथा अन्य कृषि हेतु निष्प्रयोज्य भूमि पर बायोमॉस कल्टीवेशन तथा उनका प्राथमिक मूल्य संवर्द्धन का कार्य करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) से संसाधन प्राप्त कर प्रोजेक्ट मोड में कार्य करने की अनुमति प्राप्त करना।

कार्यवाही :

राज्य जैव ऊर्जा नीति में सम्मिलित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक कच्चे माल के उत्पादन/विधायन हेतु वित्तीय संसाधन, विभिन्न विकास परियोजनाओं के कनवर्जेन्स के माध्यम से ही उपलब्ध होने के कारण समयबद्ध परिणाम प्राप्त होने में कतिपय परेशानियॉ होती हैं। यद्यपि कि बोर्ड द्वारा पूर्व से संचालित परियोजनाओं का संदर्भ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में कृषि विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के पक्ष को रखते समय मॉडल प्रयोग के रूप में प्रस्तुत किया जा चुका है। बोर्ड के प्रयोगों को मा0 अधिकरण द्वारा सार्थक एवं उपयोगी प्रस्ताव के रूप में स्वीकार भी किया जा चुका है। जहॉ तक कृषि एवं अन्य जैव अपशिष्टों का प्रश्न है, उसकी उपलब्धता रबी, खरीफ तथा जायद फसल के पश्चात आगामी एक माह तक ही सुनिश्चित होती है। ऐसी परिस्थिति में सम्बन्धित जैव ऊर्जा उद्यमों को वर्ष–पर्यन्त संचालित करने के उद्देश्य से कच्चे माल (बायोमास) का उत्पादन भी करना पड़ेगा।

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि बहराइच एवं सीतापुर जनपद में किसानों की क्रमशः नदी के किनारे की जल प्लावित भूमि तथा उच्च पी0एच0 वैल्यू मानक की कृषि हेतु निष्प्रयोज्य भूमि पर बीमा बांस तथा एलीफैन्ट ग्रास का प्रायोगिक रोपण कराया गया। जिसके परिणाम काफी उत्साहवर्धक हैं। ऐसी परिस्थिति में नदियों के किनारे कटान की भूमि, जल प्लावित भूमि तथा प्रदेश की विभिन्न वृहद सिंचाई परियोजनाओं के किनारे सीपेज के कारण उच्च लवणता से प्रभावित भूमि का उपयोग कर बायोमास उत्पादन का कार्यक्रम संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त रेनफेड एरिया में मिलेट्स की कृषि कर जहॉ एक ओर खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को गति प्रदान करने में सहयोग मिलेगा वहीं इससे उत्पादित बायोमास अपशिष्ट जैव ऊर्जा उत्पादन हेतु उच्च गुणवत्ता के कच्चे माल की आपूर्ति भी सुनिश्चित करना आसान होगा। इस प्रयास से किसानों के स्थायी आय संर्वधन एवं युवाओं हेतु सतत् स्वरोजगार अवसरों के सृजन तथा जैव ऊर्जा क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने सम्बन्धित लक्ष्यों की पूर्ति एक साथ हो सकेगी। इस प्रयास को समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

कार्य के महत्व को देखते हुए विस्तृत चर्चा उपरान्त मुख्य सचिव महोदय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना उचित प्रारूप में प्रोजेक्ट तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश बोर्ड को प्रदान

किया। साथ ही कृषि विभाग को बोर्ड के उक्त प्रस्ताव को समयबद्ध तरीके से स्वीकृति की कार्यवाही करने के भी निर्देश प्रदान किये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/कृषि विभाग)

एजेण्डा सं0–7 :

प्रस्तावित गंगा यात्रा कार्यक्रम में गंगा के दोनों किनारों पर पड़ने वाले गॉवों में ग्रामीण चौपालों का आयोजन कर बोर्ड की परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन क्लस्टर एप्रोच के साथ कार्य करने के लिये माननीय कार्यकारी समिति से सहमति प्राप्त करना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.11.2017 को आयोजित बैठक में बोर्ड की ओर से किये गये प्रस्तुतीकरण के क्रियान्वयन के आलोक में अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। इसके लिए बोर्ड स्तर से प्रदेश भर में फैले स्वरोजगारी युवाओं के नेटवर्क (जैव ऊर्जा वॉलण्टियर नेटवर्क) को अवगत कराते हुए गंगा नदी के दोनों तटों पर 05 कि0मी0 के दायरे में पड़ने वाले प्रत्येक जनपद से दो गॉवों का चयन कर वहॉ **"चौपाल पर चर्चा"** का आयोजन किया जायेगा। साथ ही सम्बन्धित ग्राम पंचायत/गॉव में किसानों/युवाओं के सहयोग से जैव ऊर्जा परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समूहगत प्रयास भी प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चौपाल पर चर्चा के दौरान आडियों विजुवल के माध्यम से प्रदेश के अन्य जनपदों में बोर्ड की परियोजनाओं में किये गये अग्रणी प्रयासों एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों/युवाओं/ग्रामीणों के पर्यावरण प्रिय स्थायी आर्थिक उन्नयन हेतु किये जा रहे प्रयासों एवं प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से चर्चा की जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त पतित पावनी गंगा के संरक्षण हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रयासों को भी धरातल पर जन सहभागिता के माध्यम उतारने का प्रयास किया जायेगा। इस कार्य हेतु बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रशिक्षित स्वरोजगारी युवाओं के चार दल वाराणसी को केन्द्र बिन्दु रखते हुए दोनों तटों पर आगामी माघ मेला के दौरान किसी खास तिथि पर एक साथ वाराणसी से बलिया तथा वाराणसी से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। इनके यात्रा कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक जनपद में चौपाल हेतु चयनित ग्राम में सम्बन्धित जिले का जैव ऊर्जा वॉलण्टियर टीम का स्वागत करेगा तथा जनपद में प्रस्तावित कार्यक्रमों के आयोजन में सहयोग प्रदान करेगा। यात्रा तिथि के सम्बन्ध में बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त समस्त जैव ऊर्जा वॉलण्टियर नेटवर्क को अवगत कराते हुए सम्बन्धित जिला प्रसाशन को क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करने हेतु भी अवगत करा दिया जायेगा। इस कार्य में यदि शासन के कोई अन्य विभाग भी सम्मिलित होना चाहेंगें तो उनका स्वागत किया जायेगा।

उक्त प्रस्तुतीकरण के उपरान्त कार्यकारी समिति ने प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–8 :

डाक्यूमेण्ट्स का लोकार्पण :

(अ) डाक्यूमेण्ट्री फिल्म : आत्म निर्भरता की ओर बढ़ते हुये कदम

(ब) पुस्तक : Bio-energy Potential From Agricultural Crop Residue & Animal Husbandry Waste in Uttar Pradesh.

बोर्ड द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कराये गये पर्यावरण प्रिय स्थायी आर्थिक विकास तथा सतत् स्वरोजगार सृजन हेतु क्रियान्वित किये गये कार्यों के सापेक्ष तैयार की गई संकलित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म तथा पुस्तक के लोकापर्ण हेतु मा0 अध्यक्ष महोदय से अनुरोध।

कार्यवाही :

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मोग की समस्या के स्थायी निवारण हेतु राज्य सरकार को प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन तथा राज्य जैव ऊर्जा नीति में सम्मिलित विभिन्न जैव ऊर्जा उद्यमों हेतु नियमित रूप से कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने, विभिन्न जैव अपशिष्टों के व्यवसायिक उपयोग को संदर्भित करते हुए प्रदेश में कृषि अपशिष्टों एवं पशुपालन अपशिष्टों की वर्तमान उपलब्धता के आलोक में बोर्ड द्वारा कृषि एवं पर्यावरण विभाग के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक Bio-energy Potential From Agricultural Crop Residue & Animal Husbandry Waste in Uttar Pradesh तथा बोर्ड द्वारा पूर्व में संचालित परियोजनाओं के आलोक में तैयार की गयी डाक्यूमेंट्री फिल्म (पार्ट–1 तथा पार्ट–2). **"आत्म निर्भरता की ओर बढ़ते हुये कदम"** के लोकापर्ण हेतु अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया। अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय, अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा अध्यक्ष बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के साथ संयुक्त रूप से उक्त दोनों डाक्यूमेन्ट्स का लोकार्पण करते हुए बोर्ड के प्रयास की सराहना की।

इसी क्रम में सदस्य संयोजक द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त दोनों डाक्यूमेंट्स को समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों, मण्डलायुक्तों, तथा कार्यक्रम से जुड़े विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को मुख्य सचिव स्तर से प्रेषित करते हुए डाक्यूमेन्ट्स के प्रस्तुतीकरण के दौरान शासन द्वारा जैव ऊर्जा विकास हेतु की गयी अपेक्षाओं तथा जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा किसानों/ग्रामीणों/युवाओं के आर्थिक उन्नयन किये गये अग्रणी प्रयासों को अपने–अपने क्षेत्र में प्राथमिकता पर लागू करने का प्रयास करें। इस कार्य हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

समिति द्वारा सदस्य संयोजक के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए सम्यक पत्राचार एवं आवश्यक समन्वय के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–9 :

नियोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित अग्रगामी विकास परियोजना, अजीतमल, जनपद औरैया, के केशमपुर, बढुआ तथा अटसू स्थित भूमि पर जैव ऊर्जा एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि प्रदर्शन प्रक्षेत्र विकसित करने हेतु माननीय कार्यकारी समिति से सहमति प्राप्त करना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा अवगत कराया गया कि नियोजन विभाग के अन्तर्गत संचालित अग्रगामी विकास परियोजना, अजीतमल, जनपद औरैया के प्रत्यक्ष संरक्षण में संचालित केशमपुर, बढुआ तथा अटसू फार्म की खाली पड़ी भूमि को औषधीय एवं सगंध पौध उत्पादन फार्म के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से लेमनग्रास की प्रायोगिक कृषि का कार्य पूर्व में किया गया था।

इस प्रायोगिक प्रयास के काफी सार्थक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके आलोक में उक्त फार्म की लगभग 40 एकड़ रकबे पर लेमनग्रास की कृषि करने के व्यवसायिक प्रस्ताव एवं उसके क्षेत्रीय किसानों के आर्थिक उन्नयन हेतु इसके विस्तारित करने के कार्यक्रम की सराहना कार्यकारी समिति द्वारा की गयी। चर्चा के अन्त में अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि इस कार्य को बोर्ड स्वयं न कर किसानों के समूह के माध्यम से ही संचालित करे।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड/अग्रगामी विकास परियोजना, अजीतमल, औरैया)

एजेण्डा सं0–10 :

वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के संबंध में समिति को अवगत कराना।

कार्यवाही :

सदस्य संयोजक द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के सम्बन्ध में कार्यकारी समिति को विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-AA के अन्तर्गत आयकर विभाग, भारत सरकार से बोर्ड को जारी शत–प्रतिशत आयकर छूट प्रमाण–पत्र से भी कार्यकारी समिति को अवगत कराया गया। इसी क्रम में नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन एवं बोर्ड के वित्त नियंत्रक ने बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कनवर्जेन्स के माध्यम से आदेशित संसाधनों की उपलब्धता समय से न हो सकने के कारण कार्यक्रमों की वॉछित स्तरीय प्रगति न होने की बात समिति के समक्ष रखी। इस क्रम में अध्यक्ष महोदय ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रोजेक्ट मोड में वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

एजेण्डा सं0–11 :

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक में विशेष आमंत्री सदस्य के रूप में उपस्थित बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास हेतु प्रोजेक्ट मोड में कार्य करने का प्रस्ताव।

कार्यवाही :

मुख्य सचिव महोदय की अनुमति से बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष ने प्रदेश में जैव ऊर्जा विकास हेतु बोर्ड द्वारा नीतिगत पहल के साथ "वैल्यू चेन मेकेनिज्म" के अन्तर्गत उद्यमिता मोड में जैव ऊर्जा के समस्त आयामों (गैस, द्रव तथा ठोस स्वरूप) के समयबद्ध एवं प्रभावी विकास पर एक साथ किये जा रहे प्रयासों तथा अब तक की उपलब्धि की सराहना करते हुए सम्बन्धित विषय पर एक संक्षिप्त पॉवर प्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके अन्तर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय रेलवे की वर्तमान पहल के आलोक में उन्होंने कहा कि एसोसिएशन की ओर से प्रदेश में यूज्ड ऑयल आधारित बायोडीजल उत्पादन के चार संयंत्र क्रमशः वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर/लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में एक–एक संयंत्र स्थापना हेतु प्रयास करेंगे।

उक्त के अतिरिक्त श्री चर्तुवेदी ने एजेण्डा बिन्दु सं0–03 पर प्रस्तावित **ग्रीन हाइवे परियोजना** के प्रस्ताव की सराहना करते हुए प्रदेश में जैव ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कारपोरेट सेक्टर (हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं इण्डियन ऑयल पेट्रोलियम) का सहयोग प्राप्त कर इसे तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही आगामी 21 व 22, फरवरी 2018 को लखनऊ में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स मीट में जैव ऊर्जा सत्र के दौरान रू0 1600 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव को समझौते हेतु सक्षम समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कही। बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया की ओर से प्रस्तुत उक्त विवरण के क्रम में सदस्य संयोजक ने अवगत कराया कि बोर्ड के समक्ष वर्तमान में लगभग रू0 2200 करोड़ के जैव ऊर्जा उद्यम प्रस्ताव प्राप्त भी हो चुके हैं। इसमें बायो सी0एन0जी0 उत्पादन, सेकेण्ड जनरेशन सेलुलोजिक बायोमॉस से बायोएथेनाल उत्पादन तथा बायोमॉस से **ड्राप–इन–फ्यूल** उत्पादन के अलग–अलग प्रस्ताव सम्मिलित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त परिचर्चा पर खुशी जाहिर करते हुए अध्यक्ष बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया से अनुरोध किया कि प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों के स्थापना कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विषय वस्तु विशेषज्ञों (प्रोजेक्ट कन्सलटेन्ट्स) चयनित कर बोर्ड को शीघ्र उपलब्ध करा दें जिससे राज्य सरकार के वित्तीय स्रोतों पर कम से कम प्रभार देते हुए जैव ऊर्जा कार्यक्रमों को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाया जा सके। सम्बन्धित विषय वस्तु विशेषज्ञों को भारत सरकार/राज्य सरकार के मानकों के अनुरूप मानदेय देय होगा। इस पर श्री चतुर्वेदी द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गयी।

कार्यकारी समिति ने उक्त प्रस्ताव की सहमति व्यक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश बोर्ड को प्रदान किये।

(कार्यवाही : उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड)

उपरोक्त विस्तृत चर्चा के उपरान्त अध्यक्ष महोदय ने सदस्य संयोजक को बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही अन्तराल पर करने के निर्देश प्रदान किया। तत्पश्चात सदस्य संयोजक द्वारा धन्यवाद व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव महोदय/अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन
कृते अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,

उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
(नियोजन विभाग)
कक्ष संख्या– 534–535, पॉचवां तल, योजना भवन, लखनऊ,
पत्रांक: 407 / उ0प्र0रा0जै0ऊ0वि0बो0 / 2017
लखनऊ: दिनॉक: 24 जनवरी, 2018

का0 जारी करें
24/1/18

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन / अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को माननीय अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ / अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन / उपाध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को माननीय उपाध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ / अवलोकनार्थ।
3. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन / सदस्य उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
4. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन / सदस्य उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
5. प्रमुख सचिव, वित, उ0प्र0 शासन / सदस्य उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
6. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन / सदस्य उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
7. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग , उ0प्र0 शासन / सदस्य उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
8. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन / सदस्य उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।
9. वित्त नियंत्रक, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. अध्यक्ष, बायोडीजल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई।
11. विशेष आमंत्री, अधिकारीगण।
12. नियोजन अनुभाग–1
13. गार्ड फाईल।

24/1/18
(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड।

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड के कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक–21.12.2017 का उपस्थिति पत्रकः–

क्र.सं0	अधिकारी का नाम	विभाग का नाम
1.	श्री आर0पी0 सिंह,	कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2.	श्री संजीव सरन	अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3.	श्री हिमांशु कुमार	प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन।
4.	सुश्री अलकनंदा दयाल	सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री (डॉ0) रूपेश कुमार	विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6.	श्री जी0पी0 त्रिपाठी	विशेष सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
7.	श्री डॉ0 अलका टण्डन भटनागर	विशेष सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 शासन।
8.	श्री पी0सी0 चौधरी	वित्त नियंत्रक (विशेष सचिव स्तर), नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
9.	श्री पवन कुमार	प्रमुख वन संरक्षक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, वन विभाग, उ0प्र0।
10.	श्री अंजनी आचार्य	अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजना, वन विभाग, उ0प्र0।
11.	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0।
12.	श्री (डॉ0) पंकज त्रिपाठी	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, उ0प्र0।
13.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0।
14.	श्री पन्नालाल	उप सचिव, एम0एस0एम0ई0, उ0प्र0 शासन।
15.	श्री प्रभात कुमार निगम	आई0टी0 एक्सपर्ट, श्रम विभाग, उ0प्र0।
16.	श्री राजेश कुमार दुबे	कन्सल्टेन्ट एस0बी0एम0, उ0प्र0।
17.	श्री सन्दीप चतुर्वेदी	अध्यक्ष, बायोडीजल एसोशियेशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई।

(पी0एस0 ओझा)
सदस्य संयोजक,
उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड,
पांचवा तल, योजना भवन, लखनऊ।